

दिशा निर्देश

(सत्र 2021-22)

जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला

प्रस्तावना :-

राज्य के समस्त जिलों के विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) का सशक्तीकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों को सामुदायिक गतिशीलता के उद्देश्य, महत्व एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त इनमें से अनेक जिला स्तरीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी के अध्यक्ष समुदाय से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। वे उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं। ऐसे अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि कार्यशाला में समुदाय को गतिशील बनाने की विधियों को ओर अधिक परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार दे सकते हैं। जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी के अध्यक्षों का क्षमता विकास करना इन जिलों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा के मीडिया एवं सामुदायिक गतिशीलता हेतु प्रावधित बजट से जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जन प्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी अध्यक्षों के साथ जिला स्तर पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का प्रावधान रखा गया है। उक्त जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन माह नवम्बर, 2021 तक सम्पन्न कराया जाना है। जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला 100 संभागियों के लिए है। प्रति संभागी यूनिट कॉस्ट ₹ 273.055/- रखी गई है। अर्थात् 100 संभागियों के लिए ₹ 27,305.5/- तक व्यय का प्रावधान रखा गया है।

बि

कार्यशाला में भाग लेने वाले संभागी -

- चुने हुए जन प्रतिनिधि यथा: जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिका/परिषद/निगम के सभापति/आयुक्त/महापौर एवं पार्षद आदि संभागी होंगे।
- जिला स्तरीय अधिकारी यथा: जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं अन्य अधिकारी समसा, उपनिदेशक, समेकित बाल विकास परियोजना, जिला श्रम अधिकारी, जिला मुख्यालय के विद्यालयों के संस्था प्रधान रा.प्रा.वि., रा.उ.प्रा.वि., रा.मा.वि., रा.उ.मा.वि., एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आदि।
- इसके अलावा यदि संभागियों की संख्या 100 तक पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ऐसे जिला स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया जा सकता है जो कि शिक्षा में प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान दे सकते हैं।

जिला कार्यशाला पर होने वाले व्यय को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है।

क्रसं.	विवरण	जिला स्तर पर 100 संभागियों हेतु व्यय प्रावधान
1.	भोजन 180/- प्रति सम्भागी की दर से	18000
2	जलपान (चाय-नाशता) 30/-रूपये प्रति व्यक्ति	3000
3.	स्टेशनरी 15 रूपये प्रति व्यक्ति	2500
4.	संदर्भ व्यक्ति मानदेय 2 संदर्भ व्यक्तियों के लिए 400/ परियोजना कार्मिक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने पर	800
5.	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रतिवेदन/रिपोर्टिंग	700
6.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय	2305.50
	योग	27305.50

नोट- जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन माह नवम्बर, 2021 तक सम्पन्न कराकर प्रबन्ध बोर्ड पर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जायें।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, MOE, GoI, नई दिल्ली की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

नोट:-गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. भंवर लाल)

राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./जिलास्तरीय/दिशा-निर्देश/2021-22/3952 दिनांक : 27.9.2021

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

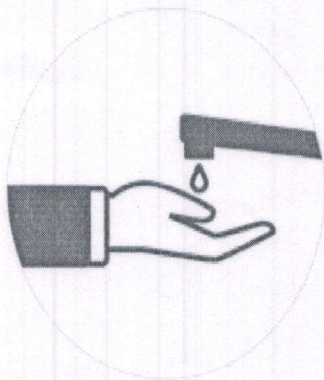
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रश्मि शर्मा)

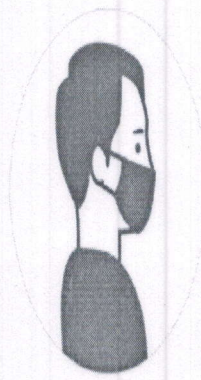
अति. राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

S.N	District	33 District Level Awareness @ Rs.273.055/- per person.	
		Target	
		Phy.	Fin. (in lakhs)
1	Ajmer	100	0.273055
2	Alwar	100	0.273055
3	Banswara	100	0.273055
4	Baran	100	0.273055
5	Barmer	100	0.273055
6	Bharatpur	100	0.273055
7	Bhilwara	100	0.273055
8	Bikaner	100	0.273055
9	Bundi	100	0.273055
10	Chittaurgarh	100	0.273055
11	Churu	100	0.273055
12	Dausa	100	0.273055
13	Dhaulpur	100	0.273055
14	Dungarpur	100	0.273055
15	Ganganagar	100	0.273055
16	Hanumangarh	100	0.273055
17	Jaipur	100	0.273055
18	Jaisalmer	100	0.273055
19	Jalor	100	0.273055
20	Jhalawar	100	0.273055
21	Jhunjhunu	100	0.273055
22	Jodhpur	100	0.273055
23	karauli	100	0.273055
24	Kota	100	0.273055
25	Nagaur	100	0.273055
26	Pali	100	0.273055
27	Pratapgarh	100	0.273055
28	Rajsamand	100	0.273055
29	Sawi Madhopur	100	0.273055
30	Sikar	100	0.273055
31	Sirohi	100	0.273055
32	Tonk	100	0.273055
33	Udaipur	100	0.273055
Total		3300	9.010815

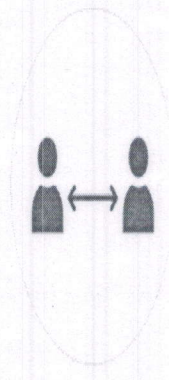
कोरोना से बचाव के उपाय अपनायें



बार बार
हाथ धोयें



मास्क पहन
कर बाहर जायें



2 गज की दूरी
बनायें रखें